OC
Sec-06
5/3/18

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–06 (प्रदू0)–12/2017 1570

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक :– 5/03.18

विषय :– प्रदूषण जाँच केन्द्रों की अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है क़ि राज्य में प्रस्तावित प्रदूषण जाँच केन्द्रों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षकों से स्थल निरीक्षण एवं भौतिक प्रतिवेदन की अनुशंसा सहित प्राप्त होने पर ही केन्द्रों को अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहनों के आवागमन हेतु प्रस्तावित स्थल नहीं रहने के बावजूद भी प्रदूषण जाँच केन्द्र खोले जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। अनुज्ञप्ति निर्गत के पूर्व यह देखा जाना अत्यावश्यक है कि उन केन्द्रों तक वाहनों को आवागमन हेतु समुचित सुविधा एवं अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध हो एवं साथ ही उन केन्द्रों के पास स्मोकमीटर एवं गैस एनालाइजर का रहना नितांत आवश्यक है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–163 (ङ) में निहित अपेक्षाओं को इन केन्द्रों द्वारा पूरा किया जाना भी अत्यावश्यक है।

अतः निदेश दिया जाता है कि निरीक्षण पदाधिकारी अनुशंसा भेजते समय उपर्युक्त तथ्यों पर अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से समाहित करेंगे। साथ ही निरीक्षण के समय का फोटोग्राफ जिसमें निरीक्षण पदाधिकारी स्वयं हो तथा जिसमें स्मोकमीटर एवं गैस एनालाइजर भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो, भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त प्रतिवेदन में पूर्व में भेजी गई अनुशंसाओं के संबंध में पुनः दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अनुज्ञप्ति निर्गत करने मे विलंब नहीं हो।

विश्वासभाजन

5/3/18

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

421 F:/SEC-6/S.K/Pollution